रजिस्ट्री सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 1980 (आश्विन 5, 1902)

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 1980 (ASVINA 5, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	557
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1225
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	17
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1059
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) .	2059
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3359
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	3336-34
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	10375
भाग III—खण्ड 2—एकस्थ कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस .	481
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	63
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	3337
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	165

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	557
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	225
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	17
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1059
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10375
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	481
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	63
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3337
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	165

*Folio not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 1980

आदेश

सं० 27(26)80-सी० एल० II—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (II) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त धारा 209क के उद्देश्यों के लिए, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत करती है :—

1. श्री अमलेन्दु दास, उप निदेशक, निरीक्षण, कलकत्ता
2. श्री टी० के० विश्वास, संयुक्त निदेशक, निरीक्षण, मद्रास

एस० बलरामन, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1980

स० 17014/17/80-टी०डी०—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 3/4/80-सी० एच० सी०, दिनांक 10 मई, 1980 के क्रम में भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित उच्च शक्ति प्राप्त समिति का कार्यकाल सरकार को अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त, 1981 तक प्रस्तुत करने के निमित्त बढ़ा दिया है।

माताप्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1980

सं० 2(9)/80-एम०आर०-2—वाडिया इन्स्टीट्यूट आफ हिमालियन जियोलोजी (वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान) (जो कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट (1960 का 21वां) के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है) के अन्तर्नियमों के ज्ञापन के अंतर्नियम 19(1) के अनुसरण में भारत सरकार 5-9-1980 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सैन्टर फार अर्थ साइंसिज स्टडीज, त्रिवेंद्रम के निदेशक श्री सी० करुणाकरण को सहर्ष वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलोजी का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

एम० एन० कुरैशी, निदेशक

सिंचाई मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 सितम्बर 1980

संकल्प

सं० 22/7/80-परि० एक—गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के बीच अन्तर्राज्यिक नदी नर्मदा और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल-विवाद, अन्तर्राज्यिक जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1969 में स्थापित नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण को निर्णय देने के लिए सौंपा गया था। न्यायाधिकरण ने अपनी अगली और अन्तिम रिपोर्ट भारत सरकार को दिसम्बर, 1979 में प्रस्तुत कर दी थी। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अपेक्षित है, भारत सरकार ने न्यायाधिकरण का निर्णय राजपत्र में 12 दिसम्बर, 1979 को प्रकाशित कर दिया था जिससे न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम और विवाद के पक्षों पर आबद्धकर हो गया। न्यायाधिकरण ने अपने अन्तिम आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अन्तर्राज्यिक प्रशासनिक प्राधिकरण की जिसका नाम नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण होगा, स्थापना करने का निर्देश दिया था। उक्त प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य न्यायाधिकरण के निर्णयों और निर्देशों का पालन और क्रियान्वयन कराना है। न्यायाधिकरण ने इसके अलावा एक पुनरीक्षण समिति की स्थापना करने का भी निर्देश दिया है जो किसी भी पक्ष राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्राधिकरण के किसी निर्णय का पुनरीक्षण कर सकती है। यह देखते हुए कि सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-एक के बांध और आनुषंगिक निर्माण-कार्यों के संबंध में चारों पक्ष राज्यों की वित्तीय जिम्मेदारी है और उनमें से तीन राज्यों, नामशः गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-तीन और विद्युत काम्पलेक्स के संबंध में जिम्मेदारी है, न्यायाधिकरण ने यह भी वांछनीय और आवश्यक समझा है कि परियोजना के यूनिट-एक और तीन के कुशलतापूर्वक, मितव्ययतापूर्ण और शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक निर्माण सलाहकार समिति गठित की जानी चाहिए।

नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के अनुसरण में, एतद्द्वारा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति निम्न प्रकार से गठित की जाती है :—

2 सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) सचिव, भारत सरकार, (सिंचाई के प्रभारी)	अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अथवा उनके बैठक में भाग न ले सकने की स्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय जल आयोग का कोई एक सदस्य	सदस्य
(iii) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अथवा उनके बैठक में भाग न ले सकने की स्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का कोई एक सदस्य	सदस्य
(iv) अध्यक्ष, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण अथवा उनके बैठक में भाग न ले सकने की स्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकरण का कोई एक स्वतंत्र सदस्य	सदस्य
(v) सिंचाई विभाग में संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार)	सदस्य

(vi) मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों के वित्त विभागों के प्रभारी सचिव — सदस्य

(vii) गुजरात और राजस्थान की सरकारों के सिंचाई विभागों के प्रभारी सचिव — सदस्य

(viii) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के विद्युत विभागों के प्रभारी सचिव — सदस्य

(ix) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राजस्व विभाग अथवा भूमि अभिग्रहण से संबंधित किसी अन्य विभाग के प्रभारी सचिव — सदस्य

(x) गुजरात के महाप्रबन्धक अथवा मुख्य इंजीनियर जो इस परियोजना के प्रभारी हों तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राजस्थान के इस परियोजना से संबंधित मुख्य इंजीनियर — सदस्य

(xi) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्ष — सदस्य

(xii) वित्तीय सलाहकार, सरदार सरोवर परियोजना — सदस्य

(xiii) सचिव (जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है) — सचिव

अध्यक्ष सलाहकार समिति की किसी बैठक में किसी अन्य व्यक्ति को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है, यदि वह यह समझे कि समिति द्वारा अपने कार्यों को सुचारू रूप से निभाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

3. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(i) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित निर्माण कार्यों के लिए तैयार किए गए परियोजना-अनुमानों की संवीक्षा करना, उनमें आवश्यक संशोधन करने की सलाह देना और संबंधित सरकारों को अनुमानों को प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए सिफारिश करना;

(ii) तकनीकी पहलुओं और डिजाइनों के बारे में किसी पक्ष राज्य द्वारा भेजे गए सभी प्रस्तावों की जांच करना और सिफारिशें करना तथा जहां आवश्यक हो वहां विशेषज्ञों की सलाह लेना;

(iii) उपलब्ध धनराशि, परियोजना की अर्थव्यवस्था और परियोजना से शीघ्र लाभ प्राप्त करने की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए परियोजना के विभिन्न भागों के समन्वित ढंग से निर्माण के कार्यक्रम की जांच करना और सिफारिशें करना;

(iv) स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार बर्क्से के निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए धन की आवश्यकता की जांच करना और आवश्यक सिफारिशें करना;

(v) परियोजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए परियोजना के निर्माण में लगे अधिकारियों को आवश्यकतानुसार तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की शक्तियों के प्रत्यायोजन की समय-समय पर जांच करना और सिफारिशें करना;

(vi) विभिन्न किस्मों के बर्क्सों की विशिष्टियों की जांच करना और और जहां आवश्यक हों वहां विशिष्टियों की सिफारिश करना;

(vii) उन सभी उप-अनुमानों और संविदाओं की जांच करना और सिफारिश करना जिनकी लागत उस राशि से अधिक हो, जिसकी स्वीकृति देने का अधिकार महाप्रबन्धक/मुख्य इंजीनियरों को प्राप्त है;

(viii) निर्माण-कार्यों और व्यवधानों के बारे में महाप्रबन्धक/मुख्य इंजीनियरों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों की संवीक्षा करना और जहां आवश्यक हो, वहां कार्य के शीघ्र निष्पादन के उपायों की सिफारिश करना।

4. निर्माण सलाहकार समिति की सिफारिशों समिति द्वारा संबंधित राज्यों के पास भेजी जाएंगी और उनकी प्रतियां पुनरीक्षण समिति और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को सूचनार्थ भेजी जाएंगी।

5. निर्माण सलाहकार समिति की सिफारिशें आमतौर पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार कर ली जाएंगी। मतभेद होने की दशा में, मामला पुनरीक्षण समिति के पास भेजा जाएगा और पुनरीक्षण समिति का निर्णय अन्तिम और सभी संबंधित राज्यों पर आबद्धकर होगा।

सरदार सरोवर बांध और सम्बद्ध बर्क्से विद्युत-गृह और विद्युत उत्पादन मशीनरी (यूनिट-तीन) और (यूनिट-एक), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रत्येक मामले में अगले एव-स्टेशन तक विद्युत देने वाली पारेषण लाइनों के निर्माण से संबंधित सभी मामलों में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण केवल वे कार्य करेगी जिन्हें विशिष्ट रूप से निर्माण सलाहकार समिति के जिम्मे नहीं डाला गया है।

6. निर्माण सलाहकार समिति सरदार सरोवर परियोजना के यूनिट-एक और तीन के निर्माण कार्य के पूरा हो जाने के तीन वर्ष बाद विघटित हो जाएगी। एकक-एक और तीन का निर्माणोत्तर प्रबन्ध गुजरात द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की ओर से किया जाएगा।

7. निर्माण सलाहकार समिति का मुख्य कार्यालय गांधीनगर, गुजरात में होगा।

8. निर्माण सलाहकार समिति अपने कार्य के संचालन के लिए प्रक्रिया और शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में नियम बनाएगी।

9. निर्माण सलाहकार समिति पर होने वाला व्यय चारों राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति के सचिवालय और योजना आयोग के पास भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे इस संकल्प को आम जानकारी के लिए राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित करें।

सी० सी० पटेल, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-1, the 6th September 1980

ORDER

No. 27/26/80-CL.II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises the following Officers of the Government of India in the Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209A :—

1. Shri Amalendu Das,
   Deputy Director Inspection,
   Calcutta.
2. Shri D. K. Biswas,
   Jt. Director Inspection,
   Madras.

S. BALARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 1st August 1980

No. 17014/17/80-1D.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 3/4/80-CHC, dated the 10th May, 1980, the Government of India has extended the tenure of the High Power Panel on Minorities, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Weaker Sections for submission of its Report to Government by the 30th August, 1981.

M. P. SRIVASTAVA, Director

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi-110029, the 8th September 1980

No. 2(9)/80-SR.II.—In pursuance of Article 19(1) of the Memorandum of Association of the Wadia Institute of Himalayan Geology [A registered society under the Societies Registration Act (Act XXI, of 1860], the Government of India is pleased to appoint Shri C. Karunakaran, Director, Centre for Earth Sciences Studies, Trivandrum, as President of the Wadia Institute of Himalayan Geology, with effect from 5-9-1980 for a period of three years.

M. N. QURESHY, Director

MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 4th September 1980

RESOLUTION

No. 22/7/80-P-I.—The water dispute regarding the inter-State river Narmada and the river valley thereof, between the States of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan was referred for adjudication to the Narmada Water Disputes Tribunal constituted by the Government of India in October, 1969 under the Inter-State Water Disputes Act, 1956. The Tribunal submitted its further and final report to the Government of India in December 1979. As required under Section 6 of the Act, the Government of India published the decision of the Tribunal in the Official Gazette on 12th December, 1979, whereupon the decision became final and binding on the parties to the dispute. In its final order, the Tribunal has, *inter-alia*, directed setting up of an Inter-State Administrative Authority to be called Narmada Control Authority for the purpose of securing compliance with and implementation of the decisions and directions of the Tribunal. The Tribunal has further directed the setting up of a Review Committee which on the application of any party State may review any decision of the Authority. While observing that the four party States have financial commitments in respect of Unit-I-Dam and Appurtenant Works of the Sardar Sarovar Project and three of them, namely, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh have such commitment in respect of Unit III Power Complex of the Sardar Sarovar Project, the Tribunal has in addition considered it desirable and necessary that a Construction Advisory Committee should be constituted for ensuring efficient, economical and early execution of units I and III of the project.

In pursuance of the above decision of the Narmada Water Disputes Tribunal, the Sardar Sarovar Construction Advisory Committee is hereby constituted, as under :—

2. The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee will consist of the following :—

(i) The Secretary to the Government of India, in charge of Irrigation.	*Chairman*
(ii) Chairman, Central Water Commission (CWC) or a Member of the CWC representing him in case the Chairman is unable to attend the meeting.	
(iii) Chairman, Central Electricity Authority (CEA) or a Member of the CEA representing him in case the Chairman is unable to attend a meeting.	*Member*
(iv) Chairman, Narmada Control Authority (NCA) or its Independent Member representing Chairman in case the Chairman is unable to attend a meeting.	*Member*
(v) Joint Secretary (Financial Adviser) in the Ministry of Irrigation.	*Member*
(vi) Secretaries in charge of Finance Department of Governments of Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Rajasthan.	*Members*
(vii) Secretaries in charge of Irrigation Department of Governments of Gujarat and Rajasthan.	*Members*
(viii) Secretaries in charge of Power Department of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.	*Members*
(ix) Secretaries in charge of Revenue Department or any other Department, concerned with land acquisition of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.	*Members*
(x) General Manager or Chief Engineers of Gujarat in charge of the project and Chief Engineers of Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan concerned with the project.	*Members*
(xi) Chairman, State Electricity Board of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.	*Members*
(xii) Financial Adviser, Sardar Sarovar Project.	*Member*
(xiii) Secretary (to be appointed by the Government of India).	*Secretary*

The Chairman may invite any other person to attend any meeting of the Advisory Committee, should be consider it necessary for the proper discharge by the Committee of its functions.

3. The Sardar Sarovar Construction Advisory Committee shall :—

(i) scrutinise the project estimates prepared for works mention in paragraph 1 above, advise necessary modifications and recommend the estimates for the administrative approval of the concerned Governments;

(ii) examine and make recommendation on all proposal pertaining to technical features and designs as may be referred to it by any of the party States and where necessary consult experts for the purpose;

(iii) examine and make recommendation on the programme of construction of different parts of the project in a co-ordinated manner, keeping in view the funds available, the economics of the project and the desirability of obtaining quick results;

(iv) examine the requirements of funds for the construction of works and other purposes according to the approved programme and make necessary recommendations;

(v) examine and recommend, from time to time, the delegation of such powers, both technical and financial, as it may deem necessary for the efficient execution of the project, to the officers engaged in the execution of the works on the project;

(vi) examine and, where necessary, recommend specifications for various classes of work;

(vii) examine and make recommendation on all sub-estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the General Manager/Chief Engineers;

(viii) review progress reports, both for works and expenditure from the General Manager/Chief Engineers and recommend, where necessary, steps to be taken to expedite the work.

4. The recommendations of the Construction Advisory Committee shall be conveyed to the Governments concerned by the Committee and copies sent to the Review Committee and Narmada Control Authority for information.

5. The recommendations of the Construction Advisory Committee shall normally be accepted by the State Governments concerned. In the event of any disagreement, the matter shall be referred to the Review Committee and the decision of th Review Committee shall be final and binding on all the concerned States.

In all matters relating to the construction of the Sardar Sarovar Dam and appurtenant works Unit I), Power House and generating machinery (Unit III) and Transmission lines to feed power to Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat upto the next sub-station in each case, the Narmada Control Authority will carry out only such functions as do not specifically devolve upon the Construction Advisory Committee.

6. The Construction Advisory Committee will be subject to dissolution after three years of the completion of constructions of Units I and III of the Sardar Sarovar Project. The post construction management of Units I and III will be by Gujarat under the supervision of the Narmada Control Authority.

7. The headquarters of the Construction Advisory Committee shall be at Gandhinagar in Gujarat.

8. The Construction Advisory Committee will frame rules regarding procedure and delegation of power for the purpose of carrying out its business.

9. The expenditure of the Construction Advisory Committee will be borne by the four States of Madhya Pradesh Gujarat, Maharashtra and Rajasthan equally.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, Ministries/Departments of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Prime Minister's Office, President's Secretariat and Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazette for general information.

S. C. PATEL, Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980